न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/159

भंवर लाल आत्मज कालू जी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1. अशोक कुमार
2. सुरेन्द्र कुमार
3. महेन्द्र कुमार पिसरान श्री भंवर लाल जाति नायक ।
4. छोटी बाई बेवा भंवर लाल जाति नायक निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. विजय लक्ष्मी पुत्री भंवर लाल पत्नी जसराम नायक निवासी नायक मोहल्ला छावनी टोंक जिला टोंक ।
6. मंजू बाई उर्फ राजेश पुत्री भंवर लाल जी पत्नी हरिभजन जाति नायक निवासी अन्नपूर्णा डूंगरी के नीचे टोंक जिला टोंक ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजू
2. सत्यनारायण
3. ओम प्रकाश पिसरान श्री चौथमल नायक निवासीगण करवर हाल निवासी खेरदा मोहल्ला पावर हाउस के पास सवाईमाधोपुर ।
4. पुष्पा पत्नी चौथमल नाय निवासी ग्राम करवार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. कन्हैयालाल आत्मज श्री कालू नायक निवासी ग्राम करवार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. रामस्वरूपी पुत्री कालू जी पत्नी शंकर लाल नायब निवासी करवर हाल निवासी गरमपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
7. लाड पुत्री कालू पत्नी गोपाल जाति नायक निवासी करवर हाल निवासी ताक कोलोनी पुराना रोडवेज डिपो के पास टोंक ।
8. सूरजमल आत्मज रामनाथ नायक निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा ।
9. बाबूलाल आत्मज मोती लाल जाति नायक निवासी करवर ।
10. कौशल्या पत्नी प्रेचन्द जाति नायक ।
11. लोकेश आत्मज श्री प्रेमचन्द जाति नायक ।
12. चन्दा पत्नी श्री किशनलाल जाति नायक निवासी करवर ।
13. रामबाबू
14. राजेन्द्र
15. महावीर
16. महेश पिसरान श्री मोहनलाल जाति नायक निवासीगण करवर दहड की बावडी माली पाडा लाखेरी तहसील लाखेरी जिला बून्दी ।
17. मांगी बाई बेवा पत्नी श्री मोहनलाल जी नायक ।
18. द्वारका बाई पुत्री श्री मोहन लाल नायक ।

19. कैलाश बाई पुत्री श्री मोहनलाल पत्नी श्री नन्दकिशोर नायक निवासी गोविन्द नगर चौराहे के पास तीसरे नम्बर की गली कोटा जिला कोटा ।
20. चन्द्रकला पुत्री श्री मोहनलाल पत्नी श्री रामदेव नायक निवासी गैण्डोली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
21. श्रीमान् शाखा प्रबन्ध, बैंक ऑफ बडौदा शाखा करवर ।
22. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा नैनवा जिला बून्दी ।
23. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।
24. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश बून्दी ।

––रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 2020 / 160

भंवर लाल आत्मज कालू जी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1 अशोक कुमार
2. सुरेन्द्र कुमार
3. महेन्द्र कुमार पिसरान श्री भंवर लाल जाति नायक ।
4. छोटी बाई बेवा भंवर लाल जाति नायक निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. विजय लक्ष्मी पुत्री भंवर लाल पत्नी जसराम नायक निवासी नायक मोहल्ला छावनी टोंक जिला टोंक ।
6. मंजू बाई उर्फ राजेश पुत्री भंवर लाल जी पत्नी हरिभजन जाति नायक निवासी अन्नपूर्णा डूंगरी के नीचे टोंक जिला टोंक ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजू
2. सत्यनारायण
3. ओम प्रकाश पिसरान श्री चौथमल नायक निवासीगण करवर हाल निवासी खेरदा मोहल्ला पावर हाउस के पास सवाईमाधोपुर ।
4. पुष्पा पत्नी चौथमल नाय निवासी ग्राम करवार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. कन्हैयालाल आत्मज श्री कालू नायक निवासी ग्राम करवार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. रामस्वरूपी पुत्री कालू जी पत्नी शंकर लाल नायब निवासी करवर हाल निवासी गरमपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
7. लाड पुत्री कालू पत्नी गोपाल जाति नायक निवासी करवर हाल निवासी ताक कोलोनी पुराना रोडवेज डिपो के पास टोंक ।
8. सूरजमल आत्मज रामनाथ नायक निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा ।
9. बाबूलाल आत्मज मोती लाल जाति नायक निवासी करवर ।
10. कौशल्या पत्नी प्रेचन्द जाति नायक ।

11. लोकेश आत्मज श्री प्रेमचन्द जाति नायक ।
12. चन्दा पत्नी श्री किशनलाल जाति नायक निवासी करवर ।
13. रामबाबू
14. राजेन्द्र
15. महावीर
16. महेश पिसरान श्री मोहनलाल जाति नायक निवासीगण करवर दहड की बावडी माली पाडा लाखेरी तहसील लाखेरी जिला बून्दी ।
17. मांगी बाई बेवा पत्नी श्री मोहनलाल जी नायक ।
18. द्वारका बाई पुत्री श्री मोहन लाल नायक ।
19. कैलाश बाई पुत्री श्री मोहनलाल पत्नी श्री नन्दकिशोर नायक निवासी गोविन्द नगर चौराहे के पास तीसरे नम्बर की गली कोटा जिला कोटा ।
20. चन्द्रकला पुत्री श्री मोहनलाल पत्नी श्री रामदेव नायक निवासी गैण्डोली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
21. श्रीमान् शाखा प्रबन्ध, बैंक ऑफ बडौदा शाखा करवर ।
22. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा नैनवा जिला बून्दी ।
23. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।
24. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश बून्दी ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 13 से 17 की ओर से ।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 28.09.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिकी दिनांक 06.02.2019 एवं अंतिम डिकी दिनांक 02.05.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान पक्षकार होने एवं एक अपील प्रारम्भिक डिकी की एवं दूसरी अपील अंतिम डिकी की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 01 लगायत 04 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी में खाता

संख्या 517 में खसरा नम्बर 1190 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 1509 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1530 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 1596 रकबा 05 बीघा, खसरा नम्बर 1622 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1629 रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा कुल किता 06 कुल रकबा 55 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है । ग्राम करवर में खाता संख्या नया 518 में खसरा नम्बर 1631 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1632 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 1633 रकबा 06 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 1634 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 04 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है । वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 8 के सम्मिलित खातेदारी व आधिपत्य की भूमि है जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/5 है । इसी के अनुसार वादीगण सम्मिलित रूप से एवं पृथक–पृथक सुविधानुसार काबिज चले आ रहे हैं । वादपत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि में वादीगण का हिस 2/15 है जिस पर पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर सुविधानुसार काबिज काश्त हैं । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाये और विभाजन में प्राप्त होने वाली भूमि को पक्षकारान के पृथक–पृथक खाते दर्ज की जावे तथा पृथक–पृथक लगान कायम करावें ।

4. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिकी पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित वादग्रस्त आराजी में वादीगण को 1/5 हिस्से का एवं चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि में वादीगण का 2/15 हिस्से अनुसार बंटवारा किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज की जावे तथा पृथक– पृथक लगान कायम किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि पर उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें । उक्त भूमि को जबरन ताकत के बल पर हस्तक्षेप नहीं करे । भूमि को अन्य के रहन, बेचान नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

5. प्रतिवादी कम 09 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

6. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.02.2019 के द्वारा प्रतिवादी कम 09 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार कर, वाद वादीगण स्वीकार कर वादपत्र की मद संख्या 02 में वर्णित भूमि का विभाजन की प्रारम्भिक डिकी पारित कर दी । प्रारम्भिक डिकी के बाद निर्णय दिनांक 02.05.2019 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिकी पारित की गई ।

7. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्रारम्भिक डिकी दिनांक 06.02.2019 एवं अंतिम डिकी दिनांक 02.05.2019 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 01 मृतक भंवर लाल के वारिसान अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में दोनों अपीलें प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि जब वादी का वाद खारिज कर दिया तो उसके पश्चात् काउन्टर क्लेम के लिए प्रतिवादी मोहनलाल की स्थिति वादी की हो जाती है और इस कारण शेष प्रतिवादीगण को पुनः सूचना जारी करनी चाहिए । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः दोनों अपील

अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 06.02.2019 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.05.2019 निरस्त किये जावें ।

8. दोनों अपीलों में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में न तो वाद में और न ही काउन्टर क्लेम में अपीलान्ट को कोई सूचना दी गई । परीक्षण न्यायालय में अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर आदेश पारित किया है इसलिए अपीलान्टगण को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई । दिनांक 22.10.2020 को प्रार्थी अपने काम से तहसील में गया तो वहाँ पर पटवारी से जानकारी हुई कि मोहन का खाता अलग हो गया है । जानकारी प्राप्त होते ही दिनांक 23.10.2020 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 05.11.2020 को नकल प्राप्त हुई । नकल प्राप्त होते ही अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तु करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

10. दोनों अपीलों में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट मोहन का काउन्टर क्लेम डिक्री करने में त्रुटि की है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को वाद एवं काउन्टर क्लेम की सूचना दिये बिना ही वाद एवं काउन्टर क्लेम डिक्री किया है । परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि मोहन काफी अर्सा पूर्व माधो के यहाँ गोद चला गया था और माधो की मृत्यु के पश्चात् ग्राम नाहरगंज तहसील नैनवा की आराजी मोहनलाल आत्मज माधो नायक के खाते बंधी हुई है । ऐसी स्थिति में मोहन का अपने पूर्व पिता के परिवार में कोई हिस्सा शेष नहीं रहा था । मोहन ने केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम होने के आधार पर मिथ्या काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर एकतरफा आदेश प्राप्त किये हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 06.02.2019 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.05.2019 निरस्त फरमाये जावें ।

11. दोनों अपीलों में विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 06.02.2019 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.05.2019 के विरूद्ध अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में उक्त दोनों अपीलें दिनांक 09.11.2020 को पेश की हैं । उक्त दोनों अपीलें गंभीर रूप से अवधि बाधित है । अपीलान्ट ने उक्त अपील पेश करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में कोई संतोषप्रद पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किये हैं, जबकि विलम्ब के सम्बन्ध में प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब के कारण स्पष्ट रूप से दर्शित करने चाहिए । परीक्षण न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है । परीक्षण न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित करते समय राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अंतिम डिक्री

परित की है जो विधि सम्मत है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 06.02.2019 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.05.2019 बहाल रखे जावें ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों को सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम दोनों अपीलों में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अपीलान्ट को काउन्टर क्लेम की सूचना ही नहीं थी । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 01 लगायत 04 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था । प्रतिवादी कम 01 मृतक भंवर लाल को नोटिस तामील करवाये गये परन्तु उनके परीक्षण न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध दिनांक 14.12.2015 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई । तत्पश्चात् प्रतिवादी कम 09 मोहन ने दिनांक 25.04.2016 को काउन्टर क्लेम पेश किया । परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादी कम 09 मोहन लाल द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार कर वादपत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित वादग्रस्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने का आदेश पारित किया ।

14. अपीलान्टगण ने अपनी अपील में मुख्य रूप से कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को काउन्टर क्लेम की सूचना दिये बिना ही काउन्टर क्लेम डिक्री किया है । परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि जब वादी का वाद खारिज कर दिया तो उसके पश्चात् काउन्टर क्लेम के लिए प्रतिवादी मोहनलाल की स्थिति वादी की हो जाती है और इस कारण शेष प्रतिवादीगण को पुनः सूचना जारी करनी चाहिए । हम विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के कथन से सहमत हैं कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को काउन्टर क्लेम की सूचना दिये बिना ही काउन्टर क्लेम डिक्री किया है । अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट ने काउन्टर क्लेम पेश किया है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था । परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर दिनांक 10.09.2018 को 04 तनकी कायम की थी परन्तु परीक्षण न्यायालय ने तनकीवार निर्णय/निष्कर्ष पारित नहीं किया है जो कि सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत है । काउन्टर क्लेम को वाद की तरह ही माना जाता है। ऐसी स्थिति में पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था । इन तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । प्रस्तुत प्रकरण जब प्रारम्भिक निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है तो ऐसी स्थिति में अंतिम डिक्री के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवेचन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । अंतिम डिक्री भी खारिज की जाती है । प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

15. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 2020/159 एवं 2020/160 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.02.2019 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.05.2019 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर पुनः प्रारम्भिक डिक्री पारित करें । प्रारम्भिक डिक्री पारित करने के पश्चात् राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे परीक्षण न्यायालय में दिनांक 11.11.2022 को उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 28.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा